फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

प्रार्थी मूलचंद वगैरह — विपक्षी LAO AOM ASO आदि

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र रिव्यू — पत्रावली संख्या 11/2020 पद

क्रमांक	05.03.2020 कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	अधि0 प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 को जारी नोटिस बाद तामिल के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिववक्ता श्री गिरिश तिवाडी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को जारी नोटिस अधि0 प्रार्थी को स्वयं के खर्च पर रजिस्टर्ड हेतु तामिल करवाने हेतु उपलब्ध करवाये गये थे। अधि0 प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को उनके डाक के पते पर रजिस्टर्ड ए0डी0 करवाये गये जिसकी प्रति आज प्रस्तुत की गयी है। सुना गया। निर्णय निम्नानुसार है:– The Scope of review is very limited. It is only for errors or mistakes which are apparent on the face of record. Its not a method for re-examination of a judgement. Hon'ble Supreme Court in Smt Meera Bhanja vs Nirmala Kumari Chordhary AIR 1995 sc Page 455 clearly held that the error apparent on the face of record should be such which should strike immediately looking at the face of record and which does not require any process of reasoning or examination of law. In Ajit Kumar Rath vs Orissa State AIR 2000 sc 85, The apex court had held that power of review is not absulate and is subject to restrictions indicated in 047 CPC. A review can not be claimed as a remedy for a fresh hearing or corection of an errore our view taken earlier. So in view of the above, the review application is not maintainable and hence Rejected. जिला कलक्टर राजसमन्द	वि.प. 1